

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

आदिवासी महिला कृषक फैलो सम्मान – 2024

प्रतिवर्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य/अभिनव कार्य करने वाले म.प्र. के तीन आदिवासी महिला कृषकों को जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय आदिवासी महिला कृषक फैलो सम्मान – 2024 से सम्मानित किया जाना है। इस अवार्ड में प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप चयनित आदिवासी महिला कृषकों को दिये जाते हैं।

इच्छुक प्रगतिशील आदिवासी महिला कृषक संलग्न प्रपत्र में नामांकन जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि विभाग/ उद्यानिकी विभाग/ पशुपालन विभाग/ कृषि अभियांत्रिकी विभाग/ आई.सी.ए.आर. संस्था के माध्यम से 20 सितम्बर 2024 तक इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

आवेदन का प्रारूप www.jnkvv.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिक जानकारी हेतु डॉ. श्रीमती शशि गौर, वैज्ञानिक (मोबाईल नम्बर 7509616905) से संपर्क करें।


संचालक विस्तार सेवायें

नामांकन फार्म
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
आदिवासी महिला कृषक फेलो सम्मान – 2024

1.	महिला कृषक का नाम	:	-----
2.	पिता/पति का नाम	:	-----
3.	वर्ष	:	-----
4.	ग्राम ----- तहसील -----		जिला -----
5.	मोबाइल नम्बर	:	-----
6.	जन्म की तारीख एवं जन्म स्थान	:	-----
7.	पत्र व्यवहार का पता	:	-----
8.	बैंक का नाम, खाते का नम्बर एम.आई.सी.आर. कोड एवं आई.एफ. सी. कोर्ड	:	-----
9.	शिक्षा का स्तर	:	-----
10.	किसान का स्वामित्व संसाधन		
	(i) भूमि (हेक्टेयर)	:	-----
	(ii) सिंचाई क्षमता	:	-----
	(iii) मछली पालन/मुर्गीपालन/पशुपालन	:	-----
	(iv) खेती संबंधित मशीनों का उपयोग	:	-----
11.	किसान का स्वामित्व संसाधन		
	(i) फसलों का क्षेत्र	:	-----
	(ii) बागवानी फसलों का क्षेत्र	:	-----
	(iii) कृषि वानिकी/मधुमक्खीपालन/रेशम	:	-----
	(iv) डेयरी/कुक्कुट/मत्स्यपालन/बतख पालन (इकाई निर्दिष्ट)	:	-----
12.	विकसित अभिनव कृषि प्रौद्योगिकी का विवरण		
13.	खेती में अपनाई गई नवीन तकनीकी		
14.	विकसित तकनीक में संशोधन (Modification Refinement)		
15.	विगत दो वर्षों में विभिन्न विकसित अभिनव तकनीक का आर्थिक विवरण		
	(i) फसलें	:	-----
	(ii) बागवानी फसलें	:	-----
	(iii) पशुधन	:	-----
	(iv) मत्स्य पालन	:	-----
	(iv) कृषि अभियांत्रिकी	:	-----
16.	कृषि तकनीकी का नवाचारी/यांगदान/सफलता की कहानी के प्रचार का क्षेत्र, रंगीन छायाचित्रों सहित (तीन पृष्ठों में)		

(महिला कृषक के हस्ताक्षर)

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त अभिनव नवाचार तकनीक की जानकारी मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य है ।

दिनांक

विभाग का नाम
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर (सील)

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र

कृषया कृषक आवेदन तैयार कराते समय निम्न बिन्दुओं का समावेश अवश्य करें।

- 1- **Innovation** (नवोन्मेष)
 - 1.1 **Severity of problems** (समस्या की गम्भीरता)
 - 1.2 **Easy handle** (कार्य में आसानी)
 - 1.3 **Cost effective** (प्रभावी लागत)
 - 1.4 **Eco-friendly** (पर्यावरण के अनुकूल)
 - 1.5 **Time taken** (कार्य समय)
 - 1.6 **Adaptability** (स्वीकार्यता या अनुकूलन क्षमता)
 - 1.7 **labour intensive** (श्रम घनिष्ठता)
 - 1.8 **Afford to popularization** (लोकप्रिय बनाने का खर्च)
- 2- **Risk management** (जोखिम प्रबन्धन)
 - 2.1 **Crop diversification** (फसल विविधिकरण)
 - 1.1.1 **Kharif** (खरीफ)
 - 1.1.2 **Rabi** (रबी)
 - 1.1.3 **Summer** (जायद)
 - 2.2 **Technology** (प्रौद्योगिकी)
 - 1.2.1 **Improve Varieties** (उन्नत किस्में)
 - 1.2.2 **Planting Method** (रोपण की विधियाँ)
 - 1.2.3 **Inter cropping** (अन्तरवर्तीय फसल)
 - 1.2.4 **Plant Protection** (पौध संरक्षण)
 - 1.2.5 **ITK with photographs** (परम्परागत प्रौद्योगिकी ज्ञान (फोटोग्राफ सहित))
 - 2.3 **Subsidiary occupation** (कृषि संबंधित व्यवसाय)
 - 1.3.1 **Dairy** (पशुपालन)
 - 1.3.2 **Fisheries** (मछली पालन)
 - 1.3.3 **Goatry** (बकरी पालन)
 - 1.3.4 **Orchard** (बाग)
 - 1.3.5 **Poultry** (कुक्कुट पालन)
 - 1.3.6 **Vegetable seedling** (सब्जी पौध)
 - 1.3.7 **Bee keeping** (मधुमक्खी पालन)
 - 1.3.8 **Sericulture** (रेशम पालन)
 - 1.3.9 **Lac cultivation** (लाख की खेती)
 - 1.3.10 **Other** (अन्य)
- 3- **Modification in farm implements** (कृषि उपकरणों में सुधार)
 - 3.1 **On Farm Implements** (खेत जुताई के उपकरण)
 - 3.2 **Off Farm Implements** (खेत जुताई के अतिरिक्त अन्य उपकरण)
- 4- **Recognition** (मान्यता)
 - 4.1 **Block level** (विकास खण्ड स्तर पर)
 - 4.2 **District level** (जिला स्तर पर)
 - 4.3 **State level** (राज्य स्तर पर)
 - 4.4 **National Level** (राष्ट्रीय स्तर पर)
- 5- **Income per unit area (ha)** (प्रति इकाई क्षेत्र की आय)
 - < Rs. 10000/ha (रु. 10000 प्रति हैक्टर)
 - Rs. 10000-25000/ha (रु. 10000 से 25000 प्रति हैक्टर)
 - > Rs. 25000/ha (रु. 25000 प्रति हैक्टर)